न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/137

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
हरीराम पुत्र पुखराज जाति कुम्हार निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. नवरतन प्रजापत पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत सियाट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सियाट तहसील सोजत जिला पाली 3. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत सियाट तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन कुमार राठौड।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सियाट द्वारा जारी मिसल संख्या 24 दिनांक 20.08.2005, संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.12.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4777 दिनांक 20.12.2005 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्राथी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम सियाट के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी का रहवासी मकान बना हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत सियाट द्वारा मिसल संख्या 12/2005 दिनांक 05.09.2005 की पालना में प्रार्थी एवं उनके भाईयों के संयुक्त नाम से पट्टा संख्या 4766 जारी किया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का पिछले 50 वर्षों से कब्जासुदा हक हकूक आया हुआ है, जो कि आबादी क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई गोविन्द व नवरतन पुत्र शंकरजी का मकान तथा सामलाती रास्ता आया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 874 दिनांक 19.08.1988 जारीसुदा है। उपरोक्त सामलाती रास्ते का सात परिवारवालों के सदस्यों द्वारा निर्बाध रूप से उपयोग किया जा रहा था। जैर निगरानी पट्टे हेतु कालूजी पुत्र सुजाजी, नवलाजी पुत्र नंदाजी, लूम्बाजी पुत्र आशूजी जातियान

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रजापत निवासीगण सियाट द्वारा दिनांक 20.08.2005 को सामलाती आम रास्ते का पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जबकि आवेदनकर्ता का लगभग 50 वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है। सामलाती चौके आने जाने के लिये छोड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जारी किया है, जो विधिसम्मत है जबकि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पिता के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पिता के पक्ष में पट्टा संख्या 4766 पूर्व में जारी पट्टाशुदा भूमि का जारी किया है। प्रार्थी न्याायलय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है, इसलिये प्रार्थी की जैर निगरानी खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवकतागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सियाट द्वारा जारी मिसल संख्या 24 दिनांक 20.08.2005, संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.12.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4777 दिनांक 20.12.2005 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि को सम्मिलित करके जारी किया गया है, जिसका अधिवक्ता अप्रार्थी ने विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में भूमि प्राप्त करने का अभिप्राय रहवासीयों का सामलायता रास्ता अंकित किया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि के नक्शे के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुये जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष सुजाजी, नंदाजी, आसुजी के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे बाद में कांट–छांट करके कालुजी पुत्र सुजाजी, नवलाजी पुत्र नंदाजी, लुम्बाजी पुत्र आसुजी अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र पर सरपंच की टिप्पणी अनुसार भी सुजाजी, नंदाजी, आसुजी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया गया, इस सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.10.2005 के द्वारा सचिव का नक्शा तैयार करने एवं प्रस्तावित भूमि का तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है और नक्शे प्रपत्र पर कांट–छांट करके नवलाजी पुत्र नंदाजी, कालुजी नाम अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार भूमि निरीक्षण प्रपत्र पर न तो क्षेत्रफल का अंकन है और न ही पंचों द्वारा कोई राय दी गई, साथ ही निरीक्षण प्रपत्र में अप्रार्थी के नामों में कांट–छांट की गई है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और न ही पंचों के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई राय कायम की गयी है, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मिसल के संलग्न दो बयानफार्म है जिसमें एक बयान दर्ज किया हुआ है जिस पर मोहनसिंह के हस्ताक्षर है जबकि दूसरा बयानफार्म खाली प्रपत्र है, जिस पर बयानकर्ता व सरपंच के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह एक कार्बनकॉपी है तथा उक्त नोटिस की पुश्त पर सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित है परन्तु किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया में आवेदनकर्ता के नाम में कांट–छांट की गई है और आवेदन पत्र, प्रस्तावित भूमि का नक्शा, मौका निरीक्षण, आपत्ति इश्तिहार, गवाहों के बयान आदि में आवेदनकर्ता के नाम अलग अलग है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख में भी पट्टाधारक के नाम में व्हाईटनर लगाकर कांट–छांट कर रखी है। साथ ही ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.09.2005, प्रस्ताव संख्या 4ए दिनांक 20.10.2005, प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.11.2005 पश्चातवर्ती तथा कूटरचित तरीके से अंकित किया जाना प्रतीत होता है एवं प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 05.12.2005 तो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित ही नहीं है तथा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25.12.2005 हस्तगत मिसल का अधिलेखित कर अंकन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सियाट द्वारा जारी मिसल संख्या 24 दिनांक 20.08.2005, संकल्प संख्या 8 दिनांक 05.12.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4777 दिनांक 20.12.2005 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली